न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

इजलास अनिता कुमारी खटीक (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

दावा संख्या :—40/2024 निर्णय दिनांकः—.....................

उनवान

1. अल्का पत्नी राजेन्द्र बैरवा निवारी हिगोनिया बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोक
2. नीतेश कुमार पुत्र राजेन्द्र बैरवा निवारी हिगोनिया बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोक
3. किशन कुमार पुत्र पन्ना लाल चमार निवारी 8ए/20 जी तीसरा फलोर डब्लयु करोल बाग मध्य दिल्ली

वादीगण

बनाम

1. कानाराम पुत्र रामकुवार बैरवा निवारी हिगोनिया बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोक
2. कानी पुत्री चोकल्या बैरवा निवासी हिगोनिया बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोक
3. गंगा पुत्री भवरिया बैरवा निवासी हिगोनिया बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोक
4. धन्नी पत्नी कानाराम बैरवा निवासी निवासी हिगोनिया बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोक
5. बदामी पुत्री चौकल्या बैरवा निवासी निवासी हिगोनिया बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोक
6. भुरी पुत्री चौकल्या बैरवा निवासी निवासी हिगोनिया बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोक
7. सुजा पुत्र चौकल्या बैरवा निवासी निवासी हिगोनिया बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोक
8. ममता देवी पत्नी जगदीश बैरवा निवासी दौलतपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर
9. तहसीलदार निवाई तहसील निवाई जिला टोंक
10. नायब तहसीलदार एवं उपपंजीयक दतवास तहसील निवाई

उपस्थित :— 1 श्री रवि प्रकाश पारीक (अधिवक्ता वादीगण)
2 प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त कृषि आराजीयात खसरा नम्बर 739/818 रकबा 0.4426 हैक्टयर खसरा नम्बर 739/821 रकबा 0.9232 हैक्टयर बिस्वा, कुल रकबा 1.3658 हैक्टेयर वाके ग्राम हिगोनिया बुजुर्ग पटवार हल्का हिगोनिया बुजुर्ग तहसील निवाई में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि में वादी का 1/6 हिस्सा है व वादी संख्या 2 का हिस्सा 1/6 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का वादग्रस्त आराजीयात में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण अपने हिस्से की आराजीयात को मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला रहा है। वाद ग्रस्त खसरा नम्बर की भूमि एक दुसरे के खेत के लगवा स्थित है। वादग्रस्त आराजी के सभी हिस्सेदारो ने मौके पर अपने अपने हिस्से की भूमि को मौके पर बाट रखा हे वादीगण का हिस्सा खसरा नम्बर 740 के लगवा स्थित है। परन्तु मौके पर सहहिस्सेदार काबिज होने के बावजूद भी सीमाए निश्चित नही होने के कारण आये दिन वाद विवाद की स्थिति बनी रहती है व विवाद होता रहता हैं प्रतिवादीगण अधिक दल बल वाले होने की वजह से व मौके पर खेतो की सीमाए निश्चित नही होने की वजह से विधिक बटवारा नही होने के कारण मौके पर अपने हिस्से की भूमि को वादी किसी प्रकार से विकसित करने में भी असमर्थ हो रहा है। व मौके पर लगातार विवाद बना रहता हैं इसलिए वादीगण के लिए अब यह आवश्यक हो गया है कि वादग्रस्त भूमि का मौके पर कब्जे अनुसार विधिवत तकासमा करवाकर राजस्व रिकार्ड व नक्शा शीट में पृथक पृथक हिस्से अनुसार अंकन करवाया जावे। यदि हिस्से अनुसार तकासमा नही होता है तो वादीगण को नाकाबिले नुकसान होगा। वाद वहक वादीगण के विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत

Scanned with OKEN Scanner

तकासमा की डिक्री इस आश्य की फरमायी जावे कि वादपत्र में अंकित खसरा नम्बरान में वादीगण का कब्जा खसरा नम्बर 740 में स्थित चाह के लगवा होने से मौके पर कब्जे अनुसार विधिवत तकासमा किया जाकर अलग से नक्शा शीट में हिस्सा बनाकर राजस्व रिकार्ड में पृथक पृथक इन्द्राज किया जाना विधिसंगत एवं न्यायसंगत है इस आश्य की डिक्री बहक वादी पारित फरमावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण बाद तामिल गैर हाजिर रहने से प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई। वादी द्वारा साक्ष्य पेश नही कर सीधे ही मोके एवं कब्जे अनुसार प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया। वादी की प्राथमिक डिक्री हेतु बहस एकतरफा सुनी गयी वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किया गया।

प्रार्थी किशन की और से आर्डर 1 रूल 10 प्रार्थना पत्र मय वकालतनामा रविप्रकाश पारीक ने पेश किया वकील पक्षकारान की प्रार्थना पत्र आर्डर 1 रूल 10 पर बहस सुनी गयी प्रार्थी आवश्यक पक्षकार होने के कारण प्रार्थना पत्र आर्डर 1 रूल 10 स्वीकार किया गया। वकील पक्षकारान की और से संशोधित शीषर्क पेश किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी की और से प्रार्थना पत्र आर्डर 6 रूल 17 पेश किया गयां। प्रार्थना पत्र आर्डर 6 रूल 17 बहस सुनी गयी प्रार्थी वादी संख्या 3 की और से निवेदन किया गयां। कि वादी संख्या 1 व 2 ने वाद वर्णित आराजीयात में अपना हिस्सा 1/6, 1/6 जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज था दिनांक 04.10.2024 को प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र बेचान कर दिया है प्रार्थी के पक्ष ममें राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी अंकन हो चुकी है। इस प्रकार प्रार्थी उक्त आराजीयात का सहखातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है । वादी संख्या 1 व 2 ने पूर्व में ही तकासमें का वाद न्यायालय में पेश कर रखा है प्रार्थी चुकि उक्त वादग्रस्त आराजीयात का सहखातेदार है वो भी विवादग्रस्त आराजीयात अपने हिस्से का तकासमा करवाना चाहता है इसलिए वादिया संख्या 1 व 2 के वाद निम्न संशोधन किया जाना न्यायसंगत है।

प्रार्थी ने वादीया अल्का पत्नी राजेन्द्र का हिस्सा व नितेश पुत्र राजेन्द्र का हिस्सा 1/6 1/6 जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 04.10.2024 को कय करके मौके पर जहां वादिया व नितेश काबिज काश्त था। उस स्थान पर घुमफिरकर वादीगण संख्या 1 व 2 ने अपने कब्जे के स्थान पर जो खसरा नम्बर 740में स्थित चाह के लगवा स्थित हैं पर वादी संख्या 3 को मौके पर घुमफिरकर सम्भला दिया है जिस पर वादी संख्या 3 निर्वाध रूप से काविज काश्त है सम्पूर्ण वाद पत्र में वादीगण के स्थान पर केवल वादी संख्या 3 शब्द जरिये संशोधन अंकित किया जावे तथा डिकी भी केवल वादी संख्या 3 के पक्ष में जारी की जावे।

उक्त संशोधन स्वीकार हो जाने से वाद पक्षकारो के मध्य सम्पूर्ण विवाद का निराकरण हो जावेगां। लिहाजा प्राथीगण का प्रार्थना पत्र आर्डर 6 रूल 17 स्वीकार किया जावे। प्रार्थना पत्र आर्डर 6 रूल 17 स्वीकार किया जाकर वाद पत्र में संशोधन की अनुमति दी जाती है । वादी की और से संशोधित वाद पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली हो। दावा में वादी संख्या 3 किशनलाल पक्षकार के रूप में सयोजित होने के कारण व वादी संख्या 3 द्वारा ही दावे में जरिये संशोधन केवल वादी संख्या 3 के पक्ष में प्राथमिक डिकी किये जाने का अनुतोष चाहा गया हैं इसलिए पूर्व में जारी पीडी आदेश को संशोधन कर वादी संख्या 3 के पक्ष में तहसीलदार निवाई को पी डी रिपोर्ट तलब किये जाने के आदेश दिये जाते है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 बाद नियमित सुनवाई इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20.01.2025 को खसरा नम्बर 739/818 रकबा 0.4426 हैक्टयर खसरा नम्बर 739/821 रकबा 0.9232 हैक्टयर बिरवा, कुल रकबा 1.3658 हैक्टेयर वाके ग्राम हिगोनिया बुजुर्ग पटवार हल्का हिगोनिया बुजुर्ग तहसील निवाई का मौके एवं कब्जे के आधार पर विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्राथमिक डिक्री के आदेश दिये जाकर तहसीलदार निवाई को विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया।

तहसीलदार निवाई के पंत्राक भू.अ./2025/2343 दिनांक 10.02.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई तहसीलदार निवाई द्वारा आदेशानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 10.02.2025 को विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस अधिवक्ता सुनी गई।

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 कब्जे काश्त आधार पर स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार बंटवारा किये जाने के आदेश दिये जाते है

Scanned with OKEN Scanner

क्र. स.	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम मुताबिक जमाबन्दी के अनुसार अंकन संवत 2071–74	ख.न.	रकबा
1	हिगोनिय बुजुर्ग	कानाराम पुत्र रामकुंवार हिस्सा 1/8 कानी पुत्री चोकल्या हिस्सा 1/8 गंगा पुत्री भंवरिया हिस्सा 1/4 धन्नी पुत्री कानाराम हिस्सा 1/8 बदामी पुत्री चोकल्या हिस्सा 1/8 भुरी पुत्री चोकल्या हिस्सा 1/8 सुजा पुत्र चोकल्या हिस्सा 1/8 जाति बैरवा सा. देह खातेदार	739/818 739/821/1	0.4426 0.4679
	योग		किता 2	0.9105

क्र. स.	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम मोके पर काबिज काश्त अनुसार खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा
2				
1	हिगोनिय बुजुर्ग	4. किशन कुमार पुत्र पन्ना लाल चमार निवासी 8ए/20 जी तीसरा फलोर डब्लयु इ ए करोल बाग मध्य दिल्ली	739/821/2	0.4553
	योग		739/821/2	0.4553

तहसीलदार निवाई को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करने के आदेश दिये जाते है पर्चा डिकी जारी हो फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।
यह निर्णय आज दिनांक .... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनिता कुमारी खटीक
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

(अनिता कुमारी खटीक आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई)

उनवान

अलका बनाम कानाराम वगै.

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 40/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु अनिता कुमारी खटीक आर.ए.एस. व हाजरी श्री रवि प्रकाश पारीक वकील वादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाद वादी डिकी किया जाता है कि तहसीलदार निवाई से प्राप्त कूर्रेजात रिपोर्ट पर बहस एकपक्षीय विद्वान अभिभाषक वादीगण सुनी गई। वाद वादी मुताबिक पी.डी. रिपोर्ट डिकी किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण की खसरा नम्बर 739/818 रकबा 0.4426 हैक्टयर खसरा नम्बर 739/821 रकबा 0.9232 हैक्टयर बिस्वा, कुल रकबा 1.3658 हैक्टेयर वाके ग्राम हिगोनिया बुजुर्ग पटवार हल्का हिगोनिया बुजुर्ग तहसील निवाई में भूमि का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है

क्र. स.	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम मुताबिक जमाबन्दी के अनुसार अंकन संवत 2071–74		
1				
	हिगोनिय बुजुर्ग	कानाराम पुत्र रामकुंवार हिस्सा 1/8 कानी पुत्री चोकल्या हिस्सा 1/8 गंगा पुत्री भंवरिया हिस्सा 1/4 धन्नी पुत्री कानाराम हिस्सा 1/8 बदामी पुत्री चोकल्या हिस्सा 1/8 भुरी पुत्री चोकल्या हिस्सा 1/8 सुजा पुत्र चोकल्या हिस्सा 1/8 जाति बैरवा सा.देह खातेदार	ख.न. 739/818 739/821/1	रकबा 0.4426 0.4679
	योग		किता 2	0.9105

क्र. स.	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम मोके पर काबिज काश्त अनुसार खातेदार का नाम		
2				
1	हिगोनिय बुजुर्ग	5. किशन कुमार पुत्र पन्ना लाल चमार निवासी 8ए/20 जी तीसरा फलोर डब्लयु इ ए करोल बाग मध्य दिल्ली	ख.न. 739/821/2	रकबा 0.4553
	योग		किता 1	0.4553

तहसीलदार निवाई को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल करने के आदेश दिये जाते है। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .... को जारी की गई।

अनिता कुमारी खटीक
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई

Scanned with OKEN Scanner